



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940
No. 53] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि.55(अ).—मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 26 की उपधारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित, अन्य नियमों के साथ, मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा) नियम, 1968 को और संशोधित करने हेतु उन कतिपय नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2018 के माध्यम से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को समाविष्ट किए सरकारी राज्यपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं; तीन माह की अवधि के भीतर उन सभी व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 23 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा जबकि जनता से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा) नियम, 1968 को और संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा) नियम, 1968 में, नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'18. वार्षिक विवरणी,- प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को अथवा उससे पूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के वेबपोर्टल पर प्रपत्रVIII में पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट व्यौरों के बारे में सूचना देते हुए प्ररूप एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:

परंतु यह कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा रखे गए लेखों, बहियों, रजिस्ट्रों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक रूप" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खण्ड (द) में है।

[फा. सं. जैड-20025/21/2018-एलआरसी]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मजदूरी संदाय (विमान परिवहन सेवा) नियम, 1968 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ 3036/पीडब्ल्यूए/विमान सेवा नियम 68 तारीख 5 अगस्त, 1968 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 352 (अ) तारीख 01 मई, 2015 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

G.S.R. 55(E).— Whereas a draft of certain rules further to amend the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968, among other rules, were published as required by sub-section (5) of section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 413(E), dated the 23rd April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of three months, from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the general public on the 23rd April, 2018;

And whereas the objections and suggestions received on the said draft rules from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Wages (Air Transport Services) Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-

'16. Annual return.- Every employer shall, on or before the 1st day of February in each year, upload unified annual return in Form VIII on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the inspector may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).’.

[F. No. Z-20025/21/2018-LRC]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note:- The Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968 was published in the Gazette of India vide notification number S.O. 3036/PWA/ Air Service Rules 68, dated the 5th August, 1968 and lastly amended vide notification number G.S.R.352(E) dated the 1st May, 2015.